पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या **7795/2020**

रंजना ठाकुर पत्नी निरंजन ठाकुर, निवासी ग्राम-भागलपुरा, पी.एस.- कैरा, पोस्ट- भागलपुरा, जिला- मुंगेर। .....**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा
2. आयुक्त, मनरेगा।
3. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मुंगेर द्वारा निदेशक, लेखा, प्रशासन और स्वरोजगार।
4. उप विकास आयुक्त, मुंगेर। .....**प्रतिवादी**

उपस्थिति :
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रितिका रानी।
प्रतिवादी की ओर से : श्री ललित किशोर(ए0जी0)।

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह
मौखिक निर्णय
दिनांक: 22-02-2021

(1) यह रिट याचिका ज्ञापांक सं0- 316 दिनांक 20.02.2020 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसे उप विकास आयुक्त, मुंगेर के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को वृक्षारोपण के काम के तहत सरकारी खजाने को हुए नुकसान के लिए 2,48,226/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्र दिनांक 12.12.2019 के आलोक

में दिया गया है। याचिकाकर्ता ने 31.12.2019 की रिपोर्ट के उस हिस्से को भी रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसका संबंध याचिकाकर्ता से है।

(2) मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उस समय खारा पंचायत, तारापुर का मुखिया था और उसने 23.11.2015 को ग्रामीण विकास अभिकरण के उप विकास आयुक्त, मुंगेर को ग्राम पंचायत, खारा से संबंधित मनरेगा योजना के तहत किए गए काम के भुगतान में पारदर्शिता न होने के बारे में एक पत्र लिखा । आयुक्त, मुंगेर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ने तब 12.12.2019 को एक पत्र गबन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा। निदेशक, लेखा प्रशासन और स्वरोजगार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें कार्यपालक अभियंता, मुंगेर और कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर भी शामिल थे, ने उप विकास आयुक्त को 31.12.2019 को एक प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें 11 व्यक्तियों को पौधारोपण कार्य को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया और 36,13,961/- रुपये की राशि वसूल करने की सिफारिश की गई और जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, तारापुर प्रखंड में पौधारोपण कार्य को नुकसान पहुंचाने के कारण 2,48,226/- रुपये की राशि वसूल करने की सिफारिश की गई। इसके बाद, उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा 20.02.2020 को आदेश जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को 10 दिनों के भीतर 2,48,226/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता को न तो उपरोक्त तीन-सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच में भाग लेने के लिए कोई नोटिस दिया गया था और न ही याचिकाकर्ता को 2,48,226/- रुपये की राशि की वसूली की सज़ा के संबंध में पूरी तरह से बचाव प्रस्तुत करने के लिए कोई नोटिस दिया गया है, इसलिए प्रतिवादियों की पूरी कार्रवाई, जिसमें 20.02.2020 का विवादित आदेश भी शामिल है,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण कानून की नज़र में गलत है।

(4) इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने, प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से इस मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए, यह कहा है कि याचिकाकर्ता NREGA के दिशा-निर्देश के क्लॉज़ 2.2.1 के अनुसार उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को ज्ञापांक दिनांक 06.08.2019 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 20.02.2020 का विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसमें उसे 2,48,226/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

फिर भी, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने के तथ्य से इंकार नही किया, जिसमें उससे उपरोक्त 2,48,226/- रुपये की राशि की वसूली की प्रस्तावित सज़ा पर उसका जवाब मांगा गया हो, और इसके अलावा, उपरोक्त तीन-सदस्यीय जांच समिति की कोई भी जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को कभी भी प्रदान नहीं की गई, ताकि वह अपना पूर्ण और व्यापक बचाव प्रस्तुत कर सके।

(5) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील की बात सुनी है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा है, जिससे यह साफ़ है कि न तो उपरोक्त तीन-सदस्यीय जांच समिति का जांच प्रतिवेदन की एक प्रति याचिकाकर्ता को दी गई है और न ही 06.08.2019 के कारण बताओ नोटिस में सरकार को हुए

वित्तीय नुकसान की वसूली के प्रस्तावित दंड के बारे में बताया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को अपना पूरा और व्यापक बचाव पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, इस प्रकार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा पारित दिनांक 20.02.2020 का विवादास्पद आदेश कानून की नज़र में गलत और अमान्य है, परिणामस्वरूप, उक्त आदेश दिनांक 20.02.2020 रद्द किया जाता है।

(6) रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायाधीश)

रिंकी/-

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी तिथि	एनए
डालने की तिथि	01.03.2020
प्रसारण तिथि	एनए

खण्डन(डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।